उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 8 | 16-30 अप्रैल 2024 | ₹ 20/-

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में महिला उपकुलपति की नियुक्ति पर विवाद

- शियाओं द्वारा इस्लाम के ऐतिहासिक कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण की मांग
- मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थकों की प्रचंड जीत
- इजरायल के सैन्य खुफिया प्रमुख का त्यागपत्र
- कर्नाटक के मुसलमान ओबीसी श्रेणी में शामिल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में महिला उपकुलपति की नियुक्ति पर विवाद 04
हज कमेटी ऑफ इंडिया को तीन महीने के अंदर गठित करने का निर्देश 06
दाऊदी बोहरा के प्रमुख का विवाद अदालत से समाप्त 09
शियाओं द्वारा इस्लाम के ऐतिहासिक कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण की मांग 11
कर्नाटक के मुसलमान ओबीसी श्रेणी में शामिल 13

विश्व

मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थकों की प्रचंड जीत 14
पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान 16
पाकिस्तान और ईरान के बीच दस अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य 17
अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन 19
पाकिस्तान में सऊदी अरब अरबों डॉलर का पूंजी निवेश करेगा 21

पश्चिम एशिया

इजरायल के सैन्य खुफिया प्रमुख का त्यागपत्र 22
फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो 23
सऊदी अरब में आवासीय कानूनों का उल्लंघन करने पर 15 हजार गिरफ्तार 24
दुबई में विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण 24
सऊदी अरब में खुली शराब की दुकान 25

सारांश

मुसलमान आम तौर पर यह दावा करते हैं कि इस्लाम में सभी मुसलमान एक समान हैं और उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सभी मुसलमान भाई हैं। लेकिन हाल ही में देश के विभिन्न भागों में हुए शिया संप्रदाय के प्रदर्शनों ने इस दावे की कलई खोल दी है। शिया नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर उनसे मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि शियाओं के इमामों, हजरत मोहम्मद की संतानों और उनके परिवारजनों के मदीना स्थित जिन मकबरों को सऊदी अरब के सुन्नी शासकों ने साल 1926 में ध्वस्त कर दिया था उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। अगर सऊदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है तो विश्वभर के शियाओं को इन रौजों (मकबरों) के निर्माण करने की अनुमति दी जाए।

उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब के मदीना स्थित जन्नत अल-बकी नामक कब्रिस्तान को इस्लाम का सबसे पुराना कब्रिस्तान माना जाता है। इसमें शव दफनाने की शुरुआत हजरत मुहम्मद के आदेश से हुई थी। बाद में उनकी बेटियों और बेटे के शव को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इसके अतिरिक्त इस कब्रिस्तान में उनके अनेक परिजनों, इस्लाम के खलीफाओं और शिया इमामों को भी दफनाया गया था। 18वीं शताब्दी में जब सऊदी अरब में वहाबी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो इन सभी ऐतिहासिक रौजों को ध्वस्त कर दिया गया। वहाबी संप्रदाय के लोग किसी भी कब्र को पक्का करने या उस पर किसी भी तरह के निर्माण को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। बाद में इन सभी रौजों का पुनर्निर्माण अरबी जनता ने किया था। साल 1926 में जब सऊदी अरब का वर्तमान शासक परिवार सत्ता में आया तो उसने इन सभी ऐतिहासिक मजारों को फिर से ध्वस्त कर दिया। तब से उस दिन को विश्वभर के शिया शोक दिवस के रूप में मनाते हैं और इन मजारों के पुनर्निर्माण की मांग करते आ रहे हैं।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करके उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि कर्नाटक में मुसलमानों के आरक्षण का यह सिलसिला 1995 से जारी था। भाजपा ने राज्य की सत्ता में आने के बाद इस आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसे अब कांग्रेस सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है।

हाल ही में मालदीव में हुए संसदीय चुनावों में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति का चुनाव 'इंडिया आउट' के नारे पर लड़ा था। इस चुनाव में भी उन्हें भारी सफलता मिली थी। हालांकि, भले ही मोइज्जू राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे, लेकिन संसद में भारत समर्थकों का बहुमत था। इसके चलते राष्ट्रपति मुइज्जू चीन समर्थक नीतियों को लागू करने में सफल नहीं हो रहे थे। मालदीव के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की भारी जीत के कारण भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में देशभर में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इजरायल पर दबाव डालकर गाजा के युद्ध को बंद करवाया जाए और अमेरिकी सरकार इजरायल की सहायता करना फौरन बंद करे। अब छात्रों का यह आंदोलन अमेरिका से बाहर यूरोप के कुछ देशों में भी फैलना शुरू हो गया है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में महिला उपकुलपति की नियुक्ति पर विवाद

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 150 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला को उपकुलपति नियुक्त करने का जो फैसला किया गया है उस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल को अवैध घोषित करने की मांग की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नया उपकुलपति नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 150 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उपकुलपति नियुक्त किया गया है। पांच महीने पहले उपकुलपति के नामों का एक पैनल विश्वविद्यालय की विजिटर राष्ट्रपति को भेजा गया था। अब चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि, इस पैनल की सिफारिश पर उंगली उठाने वाली एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

गौरतलब है कि पिछले साल के नवंबर महीने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से तीन नामों का एक पैनल राष्ट्रपति को भेजा गया था। इसमें प्रो. फैजान मुस्तफा, प्रो. एमयू रब्बानी और प्रो. नईमा खातून का नाम शामिल था। इन नामों की सूची पर आपत्ति जताते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसी मामले पर जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने भी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इन दोनों याचिकाओं पर विचार कर रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि आम तौर पर यह अनुमान था कि आचार संहिता लागू होने के कारण उपकुलपति की नियुक्ति की घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से विशेष अनुमति प्राप्त करके प्रो. नईमा खातून को उपकुलपति बनाए जाने की घोषणा कर दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति और कोर्ट की बैठक में उपकुलपति पद के उम्मीदवार प्रो. एमयू रब्बानी को सबसे अधिक 61 वोट मिले थे। जबकि प्रो. फैजान मुस्तफा को 53 और प्रो. नईमा खातून को 50 वोट मिले थे। गौरतलब है कि इस पैनल का नेतृत्व कार्यवाहक उपकुलपति प्रो. मोहम्मद गुलरेज ने किया था, जो प्रो. नईमा खातून के पति है।

रोजनामा सहारा (23 अप्रैल) के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा सचिव ने एक पत्र के जरिए यह सूचित किया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अप्रैल 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज की प्रोफेसर नईमा खातून को पांच वर्ष की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल 2024 के पत्र में कहा है कि आयोग को उपकुलपति की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, आयोग ने यह शर्त लगा दी है कि इस समाचार को मीडिया में प्रसारित न किया जाए, क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा सकती है।

गौरतलब है कि प्रो. नईमा खातून 2014 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थीं। उन्हें 1988 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में लेक्चरर के तौर पर नियुक्त किया गया था। नईमा खातून को 1998 में एसोसिएट प्रोफेसर और 2006 में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक साल तक मध्य अफ्रीका के रवांडा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। वे अक्टूबर 2015 से सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर प्लानिंग के निदेशक के तौर पर नियुक्त हैं। उन्होंने कई बार विदेशों का भी दौरा किया है। प्रो. नईमा खातून ने छह पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्हें शिक्षा और प्रशासन का लंबा अनुभव है।

इंकलाब (1 मई) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस पैनल की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर विचार होना था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इस केस की सुनवाई के लिए जिस न्यायपीठ का गठन किया था उसमें शामिल एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्य न्यायाधीश इस केस की सुनवाई के लिए नई न्यायपीठ का गठन करेंगे। न्यायमूर्ति मुनीर के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए प्रो. अशरफ मतीन ने कहा कि क्योंकि उपकुलपति के पैनल में शामिल एक उम्मीदवार प्रो. फैजान मुस्तफा को न्यायमूर्ति मुनीर व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को इस न्यायपीठ से अलग कर लिया है। इस तरह से

उन्होंने न्यायपालिका की परंपरा का सम्मान किया है।

प्रो. अशरफ मतीन ने कहा कि प्रो. नईमा खातून के उपकुलपति का उम्मीदवार होने के बावजूद उनके पति और कार्यवाहक उपकुलपति प्रो. गुलरेज ने इस पैनल की बैठक में न केवल भाग लिया, बल्कि अपना वोट भी दिया, जो पूरी तरह से अनैतिक है। दूसरी ओर, नईमा खातून को सबसे कम वोट मिलने के बावजूद पैनल की सिफारिश पर सरकार ने उन्हें उपकुलपति नियुक्त कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के सचिव डॉ. उबैद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पैनल के खिलाफ अदालत में जो याचिका दायर की गई है वह ठीक है। इस पैनल के गठन में अनियमितता हुई है। कार्यवाहक उपकुलपति प्रो. मोहम्मद गुलरेज ने अपनी पत्नी को न केवल अपना वोट ही दिया, बल्कि पैनल की बैठक की अध्यक्षता भी की। यह नियमों के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमें अदालत के फैसले पर पूरा भरोसा है।

रोजनामा सहारा (28 अप्रैल) में प्रकाशित एक लेख में प्रो. अख्तरुल वासे ने प्रो. नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि 1920 में जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तो उसकी पहली चांसलर भोपाल की शासक सुल्तान जहां बेगम बनाई गई थीं। उन्होंने कहा कि बदलते हुए जमाने को देखते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय में नए विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रो. अब्दुल अलीम के उपकुलपति काल में पश्चिम एशिया के मामलों पर विचार करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दो संस्थानों का गठन किया गया था। अब उसमें मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया पर भी विचार करने के लिए नए केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तर्ज पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्ट्डीज शुरू की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्ट्डीज और फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के जीवन में क्रांति ला सकता है।

हज कमेटी ऑफ इंडिया को तीन महीने के अंदर गठित करने का निर्देश

सहाफत (30 अप्रैल) के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया को पूर्ण रूप से गठित करे और उसके अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में भी निर्देश दे। एक प्रेस नोट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी

पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विभिन्न पक्षों की बहस को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि सात मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इस संदर्भ में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया था, लेकिन अदालत के सामने सही तथ्य नहीं रखे गए थे।

अल्पसंख्यक मंत्रालय के शपथपत्र में कहा गया था कि उसने लोकसभा अध्यक्ष को इस कमेटी के लिए किसी सांसद को मनोनीत करने का आदेश दिया था। इसी तरह का एक पत्र राज्यसभा के सभापति को भी भेजा गया था। लेकिन इन दोनों ने इस कमेटी के लिए मनोनीत किए जाने वाले किसी सांसद का नाम नहीं भेजा। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक पत्र चुनाव आयोग को भी लिखा था, जिसमें कमेटी का चुनाव करवाने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन इस पत्र का जवाब भी अदालत में पेश नहीं किया गया। आजमी के वकील संजय हेगड़े और तल्हा अब्दुल रहमान ने लिखित रूप से अदालत को सारी स्थिति से अवगत कराया था और यह आरोप लगाया था कि सरकार पिछले चार सालों से जानबूझकर हज कमेटी ऑफ इंडिया का गठन नहीं कर रही है। मंत्रालय ने हज कमेटी कानून, 2002 के तहत कमेटी को गठित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस कमेटी में अधिकारियों को अवैध रूप से नियुक्त करने का प्रयास कर रही है और कमेटी के गठन के मामले में टालमटोल कर रही है।

याचिकाकर्ता के वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि हज का मामला पहले विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता था और अब इसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत लाना कानून के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार के वकील केएम नटराज ने कहा कि यह नियम विदेश मंत्रालय के काल में बनाए गए थे और इस संस्था को अल्पसंख्यक मंत्रालय को स्थानांतरित किए जाने के बाद नए नियम नहीं बनाए जा सके हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि आपको जो भी करना है वह तीन महीने के अंदर करें। कानून के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया का गठन करें और उसके अधिकारियों की नियुक्ति भी नियमानुसार करें।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने कहा

कि हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कानून का लगातार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनकी पहचान की गई है। अगर ऐसा होता तो वे कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते। हमें कानून पर पूरा विश्वास है। अदालत ने मेरी याचिका का निपटारा तो कर दिया है, लेकिन हम इस कानून की भावना के तहत कमेटी के गठन होने तक निरंतर संघर्ष करते रहेंगे।

रोजनामा सहारा (29 अप्रैल) के अनुसार साल 2024 के हज के लिए दिल्ली से हवाई उड़ानों का सिलसिला नौ मई से शुरू हो जाएगा, जो 25 मई तक जारी रहेगा। दिल्ली राज्य हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने बताया कि हज के पहले चरण में दिल्ली से 16500 हज यात्री सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। इनमें 3200 यात्री दिल्ली के होंगे। जबकि शेष यात्री अन्य राज्यों के होंगे। उन्होंने कहा कि हज करने वाले लोगों के प्रशिक्षण का कार्य विशेष शिविर लगाकर प्रारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली के जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, जमात-ए-इस्लामी हिंद, मुस्तफाबाद, जनकपुरी, मौजपुर और गीता कॉलोनी में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों से आने वाले हज यात्रियों के ठहरने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक वातानुकूलित हज कैंप लगाया जा रहा है।

इस संबंध में दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी कुमार ने हाल ही में प्रशासन के अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई थी। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक मंत्रालय, हज कमेटी ऑफ इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की गई है। हज यात्रियों के लिए हज मंजिल, मस्जिद दरगाह फैज इलाही, रामलीला मैदान और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि हज के लिए जाने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त इन हज यात्रियों को विभिन्न टीके लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है, क्योंकि इन टीकों के बिना उन्हें सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रोजनामा सहारा (16 अप्रैल) के अनुसार हज कमेटी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉ. लियाकत अली अफाकी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास के संयुक्त प्रयासों से हज के इतिहास में पहली बार मदीना स्थित मस्जिद-ए-नबवी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर भारतीय हाजियों के आवास की व्यवस्था की गई है। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए 700 से अधिक खादिम उल-हुज्जाज को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल एक भी हाजी को किसी दूर जगह पर नहीं ठहराया जाएगा। जेद्दा में नियुक्त भारतीय वाणिज्य दूत मोहम्मद शाहिद आलम ने हज यात्रियों को हज यात्रा के संबंध में मार्गदर्शन भी दिए।

दाऊदी बोहरा के प्रमुख का विवाद अदालत से समाप्त

उर्दू टाइम्स (24 अप्रैल) के अनुसार दाऊदी बोहरा संप्रदाय के उत्तराधिकारी को लेकर पिछले दस सालों से जो विवाद अदालत में चल रहा था उसका फैसला अब सुना दिया गया है। गौरतलब है कि आठ सालों तक अदालत में इस केस की सुनवाई होती रही और पिछले एक साल से इस मामले का फैसला अदालत में लंबित था। अब आखिरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीएस पटेल ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख घोषित कर दिया है। बता दें कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के 52वें प्रमुख सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का 2014 में निधन हो गया था। उसके बाद उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन उनके उत्तराधिकारी के रूप में 53वें सैयदना बने। सैयदना बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने मुफद्दल के उत्तराधिकार पर आपत्ति की और बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने यह दावा किया कि सैयदना बुरहानुद्दीन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस दौरान कुतुबुद्दीन का 2016 में निधन हो गया। जबकि इस मुकदमे की सुनवाई अदालत में चल रही थी। खुजैमा कुतुबुद्दीन के बेटे ताहिर फखरुद्दीन इस मामले के वादी बन गए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें दाऊदी बोहरा संप्रदाय के 54वें दाई के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पिता कुतुबुद्दीन ने विधिवत रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया था।

मुफद्दल सैफुद्दीन के वकील जनक द्वारकादास ने अदालत में यह तर्क दिया कि बुरहानुद्दीन ने 4 जून 2011 को कुछ गवाहों के सामने सैफुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने अप्रैल 2023 में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने इस फैसले की विधिवत घोषणा कर दी है। अदालत ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की बोहरा संप्रदाय के दाई के रूप में नियुक्ति को वैध घोषित किया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि अदालत के इस फैसले से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस फैसले से यह साबित हो गया है कि बोहरा संप्रदाय के 52वें अल-दाई अल-मुतलक सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने अपने बेटे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को बोहरा संप्रदाय के 53वें प्रमुख के रूप में मनोनीत किया था। अदालत के इस फैसले से उस झूठे दावे पर भी विराम लग गया है जो खुजैमा कुतुबुद्दीन और उनके निधन के बाद उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन ने किया था। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि ताहिर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख होने के अपने दावे को साबित नहीं कर सके, इसलिए उनका झूठा दावा खारिज कर दिया गया। दाऊदी बोहरा संप्रदाय ने अपने वकीलों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि हम उन गवाहों के भी आभारी हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया।

सहाफत (27 अप्रैल) के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्रों की एसोसिएशन ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर हैं। एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव में कहा है कि दाऊदी बोहरा प्रमुख अपने बेबाक नेतृत्व, ईमानदारी और छात्रों की भलाई की दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। उनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया ने बहुत तरक्की की है।

टिप्पणी: दाऊदी बोहरा शिया मुसलमानों का एक समूह है, जो मुख्यत: व्यापारी और उद्योगपति हैं। बोहरा समुदाय में कई अन्य समूह भी हैं। भारत में इनकी संख्या पांच लाख के लगभग बताई जाती है। जबकि विश्वभर में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक बताई जाती है। इस संप्रदाय का प्रमुख अल-दाई अल-मुतलक कहलाता है। इस संप्रदाय का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इनके प्रमुख का चयन अल्लाह की प्रेरणा और उत्तराधिकार के नियम के तहत होता है जो 'नास' कहलाता है। आम तौर पर उत्तराधिकारी पुराने दाई के परिवार से ही चुना जाता है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय में सुधार का आंदोलन दो दशक से भी अधिक समय तक चला था। इसके प्रणेता असगर अली इंजीनियर थे। इसकी शुरुआत 1977 में दाऊदी बोहरा सम्मेलन से हुई थी। सुधार आंदोलन के नेताओं का आरोप था कि दाऊदी बोहरा प्रमुख अपने संप्रदाय को तानाशाही तरीकों से नियंत्रण करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सरकारी आयोग बनाने के बजाय गैर-सरकारी आयोग का सुझाव दिया तो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के तत्कालीन अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण ने दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण और उनके शोषण के बारे में जांच करने के लिए नथवाणी आयोग का गठन किया था। इस आयोग का बोहरा प्रमुख के समर्थकों ने जबर्दस्त विरोध किया था। इस आयोग ने कहा था कि उसकी जांच से यह साफ होता है कि बोहरा संप्रदाय के धार्मिक प्रमुखों द्वारा इस संप्रदाय से जुड़े लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। जो लोग दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख और उनके आमिलों (प्रतिनिधियों) के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाता है और उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है। इस आंदोलन के नेताओं ने यह फैसला किया कि वे विश्वभर में फैले हुए दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोगों की समस्याओं पर विचार-विमर्श और उनके समाधान के लिए हर तीन वर्ष में एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इसी तरह की एक गोष्ठी का उद्घाटन मुस्लिम चिंतक ताहिर महमूद ने किया था। इस सुधार आंदोलन को बोहरा चिंतक असगर अली इंजीनियर ने नई दिशा प्रदान की थी। ■

शियाओं द्वारा इस्लाम के ऐतिहासिक कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण की मांग

अवधनामा (18 अप्रैल) के अनुसार शिया संप्रदाय के लोगों ने देश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करके यह मांग की कि हजरत मुहम्मद साहब के परिवारजनों की जिन मजारों को सऊदी शासकों ने 1926 में ध्वस्त कर दिया था उनका पुनर्निर्माण किया जाए। सऊदी शासकों द्वारा कब्रिस्तान जन्नत अल-बकी स्थित पैगंबर मुहम्मद के परिवारजनों और शिया इमामों के रौजों (मकबरों) को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ लखनऊ के शहीद स्मारक में शिया नेता मौलाना यासूब अब्बास की ओर से एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के शासक अल-सऊद ने मदीना स्थित इस ऐतिहासिक कब्रिस्तान में हजरत मुहम्मद के परिवारजनों के रौजों को ध्वस्त कर दिया था। यह बड़े शर्म की बात है कि सऊदी शासक अपने बड़े-बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन उनके रसूल की बेटी की कब्र खुले आसमान के नीचे है। मौलाना ने सऊदी सरकार से मांग की कि या तो वह इस कब्रिस्तान का पुनर्निर्माण करे या उन्हें इन मजारों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। मौलाना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मांग की कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सऊदी सरकार पर दबाव बनाएं कि वह शियाओं पर होने वाले अत्याचारों को बंद करे।

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद सईम मेहदी नकवी ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे मांग की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। शिया नेता सैयद तकवी ने कहा कि जन्नत अल-बकी को दोबारा बनाया जाएगा और दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक इसके निर्माण को नहीं रोक सकती।

इस संदर्भ में लखनऊ में एक जनसभा का भी आयोजना किया गया, जिसे शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने संबोधित किया।

सियासत (19 अप्रैल) के अनुसार हैदराबाद में शिया संप्रदाय द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को हैदराबाद स्थित ईरान के महावाणिज्य दूत महदी शाहरुखी, रोजनामा सदा-ए-हुसैनी के संपादक सैयद जाफर हुसैन आदि अनेक शिया विद्वानों ने संबोधित किया।

टिप्पणी: बताया जाता है कि इस्लाम का पहला कब्रिस्तान जन्नत अल-बकी कहलाता है। यह कब्रिस्तान सऊदी अरब के मदीना में स्थित है। इसमें हजरत मुहम्मद के निर्देश पर सबसे पहले असद इब्न जुरारा को दफनाया गया था। इसके बाद हजरत मुहम्मद की पुत्री रुकैया के शव को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हजरत मुहम्मद के बेटे इब्राहिम और उनकी दो बेटियां जैनब और उम्म कुलथुम को भी उस्मान बिन माजून की कब्र के पास दफनाया गया था। इसके बाद खलीफा उस्मान बिन अफ्फान और हजरत मुहम्मद के अनेक परिवारजनों को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस कब्रिस्तान का विस्तार खलीफा मुआविया द्वारा किया गया था। समय-समय पर इस ऐतिहासिक कब्रस्तान पर हजरत मुहम्मद के परिवारजनों के अतिरिक्त उनके अनेक सहयोगी भी दफनाए गए और उनकी कब्रों पर मजार और गुंबदों का भी निर्माण किया गया।

18वीं शताब्दी में सऊदी अरब में वहाबी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस आंदोलन का लक्ष्य वास्तविक इस्लामी सिद्धांतों को कार्यान्वित करना था। वहाबियों का यह मानना है कि किसी भी कब्र को पक्का नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उस पर किसी गुंबद आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। वहाबियों ने 1806 में पहली बार मक्का और मदीना पर नियंत्रण किया और उन्होंने इस कब्रिस्तान की अनेक कब्रों और उन पर बने गुंबदों को मस्जिदों सहित ध्वस्त कर दिया। उनका मानना था कि बाद में इन मजारों पर इबादत करने का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बाद में इस कब्रिस्तान का पुनर्निर्माण किया गया। 1926 में जब अल-सऊद खानदान सऊदी अरब का शासक बना तो उन्होंने इस कब्रिस्तान को फिर से ध्वस्त कर दिया। तब से शिया संप्रदाय के लोग हर साल इस कब्रिस्तान के नवनिर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। इस दिन को विश्वभर में शियाओं द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

कर्नाटक के मुसलमान ओबीसी श्रेणी में शामिल

उर्दू टाइम्स (25 अप्रैल) के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के मुसलमानों के बारे में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल किया है। इसकी घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कर्नाटक के मुसलमानों को 2बी श्रेणी के तहत ओबीसी माना गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। संवाद समिति एएनआई के अनुसार कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और बिरादरियों को राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है।

उर्दू टाइम्स (26 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में प्रसन्नता व्यक्त की है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण कोटा 32 प्रतिशत है, जिसमें अब मुसलमान भी शामिल होंगे। आशा है कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद भगवा ब्रिगेड की जुबान मुसलमानों के खिलाफ और तेज हो जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा की पुरानी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण समाप्त कर दिया था। खास बात यह है कि कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण की शुरुआत एचडी देवगौड़ा ने की थी। वही देवगौड़ा जो आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का लंबा इतिहास है। 1975 में एलजी हवानूर ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा करार दिया था। तब से ही मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने और उनकी सहायता के लिए आरक्षण की बात होने लगी थी। 1980 में वेंकट स्वामी कमीशन ने भी मुसलमानों को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण देने का समर्थन किया था। जब इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई तो जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने अपने फैसले में मुसमलानों के आरक्षण को उचित ठहराया था। 90 के दशक में मुसलमानों को पहली बार आरक्षण दिया गया था। यह आरक्षण उनके पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था, धर्म के आधार पर नहीं। इस आधार पर अदालत ने भी इस आरक्षण का समर्थन किया था। लेकिन भाजपा इसके बावजूद मुसलमानों के आरक्षण के विरोध में अड़ी हुई है। भाजपा के इस रवैये को मुस्लिम विरोध का नाम न दिया जाए तो क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में इस आरक्षण को हिंदुओं के अधिकारों पर डाका तक की संज्ञा दी है। भाजपा की पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध पर ही टिकी हुई है। अब यह कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि वह अपने इस फैसले पर अडिग रहे। राज्य सरकार का यह निर्णय मुसलमानों को रिझाने के लिए सिर्फ चुनावी हथियार साबित न हो।

मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थकों की प्रचंड जीत

इंकलाब (23 अप्रैल) के अनुसार मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में चीन समर्थकों की भारी जीत से भारत के लिए नया खतरा पैदा हो गया है। मालदीव के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने मालदीव की पीपुल्स मजलिस (संसद) की 93 सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत समर्थक मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को मालदीव की संसद में भारी बहुमत प्राप्त था। एमडीपी को इस चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और उसकी सीटें 65 से घटकर 12 रह गई हैं। एमडीपी के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। इस बार के चुनाव में संसद की 93 सीटों के लिए कुल 368 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 42 महिलाएं थीं। मतदान के लिए मालदीव में 602 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जबकि एक-एक मतदान केंद्र श्रीलंका के कोलंबो, भारत के तिरुवनंतपुरम और मलेशिया के कुआलालंपुर में भी बनाया गया था।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में मालदीव में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू ने भारी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने 'इंडिया आउट' के नारे पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, मालदीव की राजधानी माले में हुए महापौर के चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अभी तक मोहम्मद मुइज्जू चीन के इशारे पर खुलकर नाचने में इसलिए विफल रहे, क्योंकि मालदीव की संसद में भारत समर्थक सांसदों का बहुमत था। मालदीव के संसदीय चुनाव परिणामों से अमेरिका को भी भारी झटका लगा है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए पिछले दो सालों से सक्रिय था। यही कारण है कि अमेरिका ने 2023 में माले में अपना दूतावास भी खोला था।

बता दें कि मालदीव के इन चुनावों में दो लाख 84 हजार 887 मतदाताओं में से 84.25 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया था। पीएनसी ने इन चुनावों में 90 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। जबकि विपक्षी दल एमडीपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं, जम्हूरी पार्टी के 10 और डेमोक्रेट्स के 39 उम्मीदवार मैदान में थे। पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के पुत्र और पुत्री दोनों को इन चुनावों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।

गौरतलब है कि गयूम ने 30 वर्षों (1978 से 2008) तक मालदीव पर शासन किया था। गयूम को भारत समर्थक माना जाता है। 1988 में जब कुछ विदेशी शक्तियों ने सैन्य क्रांति के जरिए मालदीव की गयूम सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया था तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना को मालदीव भेजकर इस प्रयास को विफल बना दिया था। 1965 में मालदीव के स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका ने 1966 में मालदीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसका लक्ष्य हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। 2020 में अमेरिका ने मालदीव के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त मालदीव ने 1965 में इजरायल के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उस समय इजरायल विश्व का तीसरा देश था जिसने मालदीव को मान्यता दी थी। 2009 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इजरायल के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजरायल पर हमला किया। इसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में जब इजरायल ने गाजा पर हमला किया तो मालदीव के सुन्नी मुसलमानों ने अपने देश में 'इजरायल आउट' जैसे प्रदर्शनों का आयोजन किया था। इसके साथ ही इजरायली पासपोर्ट धारकों के मालदीव में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

चीन मालदीव के संसदीय चुनाव परिणामों से गदगद है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने संवाददाताओं को बताया कि "हम सफल एवं निष्पक्ष संसदीय चुनावों के लिए मालदीव को बधाई देते हैं और मालदीव की जनता की पसंद का पूरा सम्मान करते हैं। हम मालदीव को हर क्षेत्र में पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं।" चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के निदेशक ने कहा है कि हालांकि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मालदीव एक छोटा सा देश है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर विदेशी हस्तक्षेप का सिलसिला बंद हो और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति वहां की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। वर्तमान चुनाव परिणाम इस बात का संकेत है कि मालदीव की जनता भारत के हस्तक्षेप के खिलाफ है।

गौरतलब है कि 1976 में सैन्य और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने लक्षद्वीप में अपना एक नया सैन्य अड्डा आईएनएस जटायु स्थापित किया है। इसका लक्ष्य चीन की विस्तारवादी नीतियों पर नजर रखना है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के दबाव

पर भारत को मालदीव से अपने सैन्य विशेषज्ञों को हटाना पड़ा है और समुद्र के संसाधनों से संबंधित अनेक समझौते रद्द करने पड़े हैं। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले दो सालों में मालदीव में पाकिस्तान का भी प्रभाव बढ़ा है। मालदीव की 99 प्रतिशत जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। पाकिस्तानी उलेमा ने वहां पर कई नए इस्लामी मदरसे स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मालदीव के 100 से अधिक छात्रों को पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देने की भी शुरुआत की है।

सहाफत (24 अप्रैल) ने मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी की प्रचंड जीत का उल्लेख करते हुए कहा है कि चीन की नजरें काफी समय से मालदीव पर लगी हुई थीं। पिछले साल मोहम्मद मुइज्जू ने जब राष्ट्रपति का चुनाव जीता तो यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी सरकार एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी को बहुमत मिला है उससे साफ है कि अब मालदीव की नीति का निर्धारण चीन के संकेत पर होगा। अब चीन जो चाहेगा वही इस देश में होगा। मालदीव ने भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने का अभियान बड़ी तेजी से शुरू किया है और व्यापार आदि के बारे में उसने तुर्किये और कई अन्य मुस्लिम देशों से समझौते किए हैं। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के साथ 15 गुप्त समझौते किए गए हैं। इनमें सैन्य सहयोग और सैन्य सामग्री की सप्लाई भी शामिल है। चीन ने यह भी घोषणा की है कि मालदीव के आर्थिक विकास के लिए वह वहां पर भारी मात्रा में पूंजी निवेश करेगा।

पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान

अवधनामा (23 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग का कहना है कि गुप्तचर सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में दो बड़े सैन्य ऑपरेशन शुरू किए थे। उत्तरी वजीरिस्तान में इस ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। जबकि डेरा इस्माइल खान में किए गए एक सैन्य ऑपरेशन में 10 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सेना का दावा है कि आतंकवादियों के अड्डों से भारी मात्रा में विदेशी हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी डेरा इस्माइल खान में सैन्य अभियान के दौरान छह पाकिस्तानी सैनिक और 18 आतंकवादी मारे गए थे। जबकि वजीरिस्तान में

हुए एक अन्य सैन्य ऑपरेशन में चार आतंकी और तीन सैन्य अधिकारी मारे गए।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (23 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया है कि 12 पंजाबी नागरिकों की सामूहिक हत्या के आरोप में गिरफ्तार आतंकवादी हबीबुल्लाह ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह अफगानिस्तान का रहने वाला है। उसने यह स्वीकार किया कि इस हमले की योजना अफगानिस्तान में बनाई गई थी। उसने यह भी दावा किया कि इसके लिए रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और हथियार अफगानिस्तान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। उसने यह स्वीकार किया कि हमारे गिरोह को अफगान सीमा तक पहुंचाने में अफगान सरकार के अधिकारियों ने मदद की थी। उसने यह भी बताया कि इस हमले को अंजाम देने वाले सभी आतंकवादी अफगान नागरिक थे।

गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार अनेक बार यह आरोप लगा चुकी है कि उसके देश में हो रहे आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान में उपद्रव मचाने वाले आतंकवादियों को अफगानिस्तान में शरण दी जाती है। हालांकि, अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद कई बार पाकिस्तान के इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। उनका दावा है कि क्योंकि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को तबाह करने में विफल रही है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए वह अफगानिस्तान सरकार को निशाना बना रही है।

पाकिस्तान और ईरान के बीच दस अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य

सियासत (23 अप्रैल) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग हेतु एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से इन समझौतों पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच के धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध सदियों पुराने हैं। हम यह चाहते हैं कि इनमें और भी वृद्धि हो। इस

मुलाकात में इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि दोनों देश आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीन में इजरायली आक्रामकता का खात्मा जरूरी है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पाकिस्तान ने गाजा की जनता का डटकर समर्थन किया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका के दबाव पर इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों पर लगाम लगाने में विफल रही है।

इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि मुहम्मद इकबाल की कब्र पर लाहौर में फातिहा पढ़ा और कहा कि इकबाल के कलाम ईरान में काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इकबाल का फारसी कलाम दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है। रईसी ने कहा कि इजरायल के युद्ध में फिलिस्तीनी सफल होंगे। उन्होंने कहा कि इकबाल की शख्सियत ईरानियों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। इकबाल ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया है कि दुनियाभर के मुसलमान एक हैं और इस्लाम व कुरान की रक्षा के लिए उन्हें एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आकर मुझे यह महसूस हुआ है कि मैं अपने ही लोगों के बीच में हूं। मुझे आशा है कि पाकिस्तान और ईरान की जनता के दिल एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान और ईरान ने अपने-अपने देशों में आतंकी संगठनों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरान के गृह मंत्री डॉ. अहमद वाहिदी और विधि मंत्री अमीन हुसैन रहीमी के साथ मुलाकात के दौरान किया है। इस बैठक में यह भी फैसला किया गया कि दोनों देश आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में गुप्तचर एजेंसियों से मिलने वाली सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और ईरान के आपसी संबंधों में तनाव था। इस साल के जनवरी महीने में ईरान की सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्रों में रॉकेटों और मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें लगभग एक दर्जन लोग मारे गए थे। जबकि पाकिस्तान सरकार का यह दावा था कि इन हमलों में मरने वाले मासूम नागरिक थे। इसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तान ने भी ईरानी क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना था कि गुप्तचर एजेंसियों की सूचना के आधार पर उसने ईरान में सक्रिय आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें एक दर्जन से अधिक आतंकी मारे गए हैं। ईरान सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ईरान स्थित विभिन्न दरगाहों की यात्रा हेतु पाकिस्तानी शिया यात्रियों को वीजा से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देशों की जेलों में जो कैदी सजा काट रहे हैं उन्हें एक दूसरे की सरकारों के हवाले किया जाएगा। ■

अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन

इंकलाब (24 अप्रैल) के अनुसार गाजा में इजरायल के हमलों के खिलाफ अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन बड़ी तेजी से फैल रहा है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस संबंध में अनेक छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसी तरह से बर्कले और एमआईटी सहित अनेक विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजों के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होकर 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहूदियों के खिलाफ बढ़ती हुई भावनाओं पर चिंता प्रकट की है।

एतेमाद (26 अप्रैल) के अनुसार छात्रों के बढ़ते हुए असंतोष को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड को नियुक्त करे। टेक्सास विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ब्राउन विश्वविद्यालय के छात्र इजरायल के प्रति अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते हुए यह मांग कर रहे हैं कि अमेरिका इजरायल को आर्थिक और सैन्य सहायता देना बंद करे। छात्रों ने उन कंपनियों के उत्पाद का भी बहिष्कार करने की घोषणा की है, जो इजरायल का समर्थन करते हैं। विश्विद्यालय के प्रशासन छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की जगह जेल में है। जो लोग यहूदियों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं और देश में नफरत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालयों से निकाल दिया जाएगा। हमास ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सरकार छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रही है और उनको बदनाम करने के लिए उन्हें यहूदी विरोधी करार दिया जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि यहूदी

विरोधी भीड़ छात्रों को इजरायल के खिलाफ भड़का रही है। उन्होंने कहा कि दंगाई तत्व यहूदी छात्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इजरायल के विरोध में और फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अप्रैल) ने यह दावा किया है कि इजरायल के खिलाफ अमेरिका से प्रदर्शनों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अब यूरोप के कई देशों में फैल गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली के विश्वविद्यालयों में भी इजरायल विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। समाचारपत्र का कहना है कि जब अमेरिकी सीनेट के स्पीकर माइक जॉनसन कोलंबिया विश्वविद्यालय के दौरे पर थे तो उनकी प्रदर्शनकारी छात्रों से जबर्दस्त झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका की गलत नीतियों के कारण इजरायल गाजा में बेगुनाह फिलिस्तीनियों का खून बहा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की कि अमेरिकी सरकार अपने देश में इजरायल की सभी संपत्तियों को जब्त कर ले और इजरायल को इस बात के लिए मजबूर करे कि वह फिलिस्तीनियों का नरसंहार फौरन बंद करे।

एतेमाद (26 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में अमेरिका में हो रहे छात्रों के प्रदर्शनों का स्वागत करते हुए कहा है कि अमेरिकी सरकार को इजरायल को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए और अमेरिकी संसद ने इजरायल को आर्थिक सहायता देने का जो फैसला किया है उसे फौरन रद्द करना चाहिए। छात्र इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गाजा में स्थाई युद्धविराम को लागू करने के लिए अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। समाचारपत्र ने लिखा है कि इस विरोध के कारण विश्वविद्यालयों के कई अध्यापकों और प्रशासकों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि अमेरिका और यूरोप के छात्र विरोध-प्रदर्शन के लिए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और वे यह मांग कर रहे हैं कि गाजा में नरसंहार को रोका जाए व फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि अमेरिका जैसा देश, जो विश्वभर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरोधा बनता है वह खुद अपने ही देश में छात्रों की आवाज को जबरन बंद करने का प्रयास कर रहा है।

पाकिस्तान में सऊदी अरब अरबों डॉलर का पूंजी निवेश करेगा

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने हाल ही में अपने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान में पूंजी निवेश की संभावनाओं पर विचार करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब वे सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और उनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया था। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने अमेरिका का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) उसे कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में एक अरब डॉलर इसी महीने पाकिस्तान को रिलीज की जाएगी।

हिंदुस्तान (18 अप्रैल) के अनुसार सऊदी वित्त मंत्री फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में बताया कि सऊदी अरब पाकिस्तान में पांच अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार है। फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम अनेक क्षेत्रों में पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हैं, जिनमें कृषि, बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, ऊर्जा आदि शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पिछले चार दशक में पहली बार इतना बड़ा सऊदी प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में पूंजी निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आया है। हमारी बातचीत सफल रही है और हम सऊदी अरब को हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

सियासत (17 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लंबी बातचीत की और उन्हें पाकिस्तान में सऊदी पूंजी निवेश के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लाम के नाते हम दोनों देश आपस में भाई-भाई हैं और हमारे सांस्कृतिक, व्यापारिक और धार्मिक रिश्ते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

अवधनामा (16 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद स्थित किंग अब्दुल्ला विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस धनराशि का इस्तेमाल विश्वविद्यालय को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए किया जाएगा। किंग अब्दुल्ला विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. मुहम्मद कलीम अब्बासी ने कहा कि 2005 के भूकंप में विश्वविद्यालय का पूरा परिसर तबाह हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण सात अरब की धनराशि से सऊदी अरब के सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि किंग अब्दुल्ला विश्वविद्यालय में दस हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें उच्चस्तरीय शिक्षा देने के लिए 300 विशेषज्ञों को भर्ती किया जा रहा है।

इजरायल के सैन्य खुफिया प्रमुख का त्यागपत्र

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 अप्रैल) के अनुसार इजरायल के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अहरोन हलीवा ने पिछले साल सात अक्टूबर को इजरायल में हुए हमास के हमले की पूर्व सूचना देने में विफल होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। हमास के इजरायल पर हमले के बाद इजरायली जनता खुफिया प्रमुख को उनकी विफलता के लिए निरंतर निशाना बना रही थी। खुफिया प्रमुख ने अपने त्यागपत्र में यह स्वीकार किया है कि हमास के हमले की पूर्व सूचना देने में वे विफल रहे हैं। इजरायली सैन्य मुख्यालय ने हलीवा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इजरायल का दावा है कि रफा का क्षेत्र गाजा में हमास का आखिरी गढ़ है और इसका सफाया करना बेहद जरूरी है।

गौरतलब है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक से एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 1160 इजरायली मारे गए थे। इस हमले में हमास ने सैकड़ों इजरायली नागरिकों को भी बंदी बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने हमास को तबाह व बर्बाद करने और बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार इस युद्ध में अब तक 34 हजार फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 76 हजार घायल हुए हैं। इस संबंध में 25 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव अमेरिका की अनुपस्थिति में पारित हुआ था। इजरायल ने इस मतदान में अमेरिका के भाग नहीं लेने पर नाराजगी व्यक्त की थी और यह आरोप लगाया था कि अमेरिका के इशारे पर सुरक्षा परिषद के अन्य 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। ईद के अवसर पर इजरायली बमबारी में हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह के परिवार के अनेक लोग मारे गए थे। इजरायल ने गुप्तचर सूत्रों की सूचना के आधार पर उस वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें इस्माइल हानियेह के परिवार के एक दर्जन सदस्य अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शरणार्थी शिविर में जा रहे थे।

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो

उर्दू टाइम्स (20 अप्रैल) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को स्थाई सदस्यता देने से संबंधित प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य देश इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। संवाद समितियों के अनुसार यह प्रस्ताव अल्जीरिया ने पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 12 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। जबकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया। सुरक्षा परिषद के अधिवेशन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी जनता स्वतंत्र राज्य में शांति और आजादी के साथ रहना चाहती है। इस प्रस्ताव को वीटो करते हुए अमेरिका ने कहा कि अभी फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की स्थाई सदस्यता देने का उचित समय नहीं आया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास और हमास ने अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को वीटो करने की कड़ी आलोचना की है और यह आरोप लगाया है कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों पर डाका डाला है।

गौरतलब है कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर मतदान को रूकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों पर काफी दबाव डाला था ताकि वह वीटो के दाग से बच सके। लेकिन जब मतदान हुआ और इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत से वोट पड़ा तो अमेरिका को अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इजरायल पर दबाव डाला था कि वह रफा पर हमला करने से बाज आए। उन्होंने गाजा में स्थाई युद्धविराम की भी मांग की थी। इन सात देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इस सम्मेलन के बाद एक बयान में कहा गया था कि रफा में 17 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। अगर इजरायल रफा पर हमला करता है तो वहां पर अनेक लोग मारे जाएंगे। वहीं, सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की स्थाई सदस्यता देने के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा वीटो करने की आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में स्थाई शांति की स्थापना न हो। सऊदी विदेश मंत्रालय ने विश्व के देशों से अपील की है कि गाजा में नागरिकों पर इजरायली हमलों को रोका जाए। फिलिस्तीनी जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार

दिया जाए और 1967 की सीमा के आधार पर स्वायत्त फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना की जाए ताकि इस क्षेत्र में स्थाई शांति हो सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 अप्रैल) के अनुसार मध्य पूर्व के अनेक देशों ने अमेरिका द्वारा वीटो का इस्तेमाल करने की निंदा की है। इन देशों ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिका फिलिस्तीन में स्थाई शांति के रास्ते में रोड़े डाल रहा है। इन देशों ने एक प्रस्ताव के जरिए विश्व के देशों से अपील की है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह फिलिस्तीन को मान्यता दे और फिलिस्तीनियों को उनके जायज अधिकारों से वंचित करने के इजरायली प्रयास को विफल बनाया जाए।

सऊदी अरब में आवासीय कानूनों का उल्लंघन करने पर 15 हजार गिरफ्तार

इंकलाब (22 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब में आवासीय कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 15 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) के अनुसार ये गिरफ्तारियां ईद के बाद की गई हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर आवासीय कानून, कामकाज के नियमों का उल्लंघन और सीमा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आवासीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 9 हजार 479 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 3763 लोगों को अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया है। वहीं, 1430 लोगों को श्रम कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा गया है। सऊदी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से सऊदी अरब में अवैध रूप से घुसपैठ करने के आरोप में लगभग एक हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 64 प्रतिशत इथियोपिया के, 33 प्रतिशत यमन के और तीन प्रतिशत अन्य देशों के नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त 73 अन्य लोगों को सऊदी अरब से पड़ोसी देशों में अवैध रूप से दाखिल होने के आरोप में पकड़ा गया है।

दुबई में विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण

उर्दू टाइम्स (30 अप्रैल) के अनुसार दुबई में विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसका नाम अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और इसके निर्माण पर लगभग 35 अरब डॉलर खर्च होगा। फ्रांसीसी संवाद समिति एएफपी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के उप राष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम ने कहा है कि सरकार के आदेश से विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके निर्माण पर 34 अरब 85 करोड़ डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इस हवाई अड्डे पर प्रतिवर्ष 26 करोड़ यात्री विमान सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह मौजूदा दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पांच गुना बड़ा होगा।

दुबई के नागरिक उड्डयन अथॉरिटी के अध्यक्ष शेख अहमद बिन सईद अल-मकतूम ने कहा कि इस परियोजना का प्रथम चरण अगले दस सालों में पूरा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है। यह हवाई अड्डा नगर के नजदीक स्थित है, इसलिए जगह की कमी के कारण इसका विस्तार करना संभव नहीं है। इस समय हर साल 12 करोड़ यात्री इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यात्रियों के भीड़ को कम करने के लिए नगर से दूर इस नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है।

सऊदी अरब में खुली शराब की दुकान

सहाफत (26 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में पहली बार शराब की दुकान खोली गई है। शराब खरीदने के लिए दूतावासों के कर्मचारियों को 'डिप्लो' नामक ऐप पर पंजीकरण करवाना होगा और विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद शराब ग्राहकों के लिए एक मासिक कोटा तय किया जाएगा। 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को इस दुकान से शराब खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में फोटोग्राफी और मोबाइल के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष के प्रारंभ में सऊदी सरकार ने दूतावासों के कर्मचारियों के लिए सरकारी तौर पर शराब की दुकान खोलने की घोषणा की थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह शराब की दुकान गैर-मुस्लिम देशों के दूतावासों के कर्मचारियों के लिए खोली गई है।

बता दें कि सऊदी अरब के इतिहास में यह पहला अवसर है जब वहां पर सरकारी तौर पर शराब की दुकान खोली गई है। इससे पहले सऊदी अरब में शराब के इस्तेमाल करने पर कड़ा प्रतिबंध था और किसी भी व्यक्ति को शराब पीने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे सार्वजनिक तौर पर सौ कोड़े मारे जाते थे और आरोपी को पांच वर्षों तक जेल में रखा जाता था। गौरतलब है कि इस्लामी शरिया में शराब पीना, उसका भंडारन करना या उसे बेचना घोर अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर सख्त सजा की व्यवस्था है। दो साल पहले सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने उदार नीति अपनाने की घोषणा की थी। इस नीति के तहत महिलाओं को वाहन चलाने और बिना बुर्का पहने शॉपिंग करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब में पहली बार लगभग तीन दर्जन सिनेमा घर भी खोले गए हैं। इससे पहले इस देश में सिनेमा देखने पर प्रतिबंध था।

RNI No. DELHIN/2017/72722

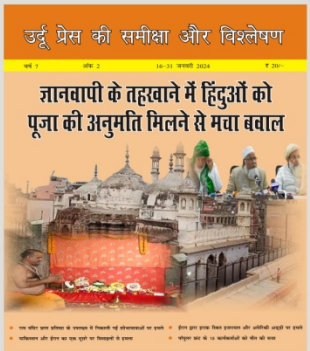

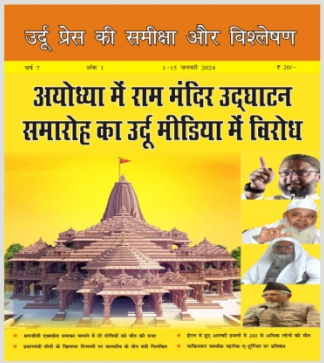

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in